प्रकरण संख्या : 39/2024
भोरिया बनाम राज० सरकार
निर्णय दिनांक : 19.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या	:	39/2024
दायर दिनांक	:	16.05.2024
निर्णय दिनांक	:	19.12.2025

1. भोरिया पुत्र मूल्या, निवासी ग्राम कांदोली तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कांदोली तहसील भाण्डारेज में कृषि भूमि खसरा नम्बर 106, 109/2, 110, 111 कुल किता 04 कुल रकबा 0.63 है० स्थित है। जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार व काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 25.06.2019 को हो चुका है। प्रार्थी उक्त भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा हेतु एवं पडौसी खातेदारान से सीमा विवाद नहीं हो, इस हेतु अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। मुताबिक जवाब तहसीलदार भाण्डारेज प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नामं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने एवं प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किये जाने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम कांदोली तहसील भाण्डारेज स्थित आराजी खसरा नम्बर 106, 109/2, 110, 111 कुल किता 04 कुल रकबा 0.63 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)